2035/DSW/26
09.09.26

सेवा में,

समस्त संकायाध्यक्ष/ विभागाध्यक्ष/ समन्वयक/ निदेशक,
लखनऊ विश्वविद्यालय,
लखनऊ।

विषय : शैक्षणिक सत्र 2026–27 हेतु पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन प्रक्रिया प्रारम्भ होने के संबंध में छात्र–छात्राओं को सूचित/जागरूक करने हेतु।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि शैक्षणिक सत्र 2026–27 हेतु पात्र छात्र–छात्राओं के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया दिनांक 15 सितम्बर 2026 से प्रारम्भ हो रही है।

अतः, आपसे अपेक्षा है कि अपने विभाग/ संकाय के समस्त पात्र छात्र–छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन प्रक्रिया प्रारम्भ होने की सूचना विभागीय नोटिस बोर्ड, विभागीय व्हाट्सऐप ग्रुप, ई–मेल, मौखिक सूचना एवं अन्य उपलब्ध माध्यमों से व्यापक रूप से उपलब्ध कराते हुए उन्हें समय से आवेदन करने हेतु प्रेरित एवं जागरूक करें। साथ ही, छात्र–छात्राओं को यह भी अवगत कराना चाहें कि वे आवेदन करने से पूर्व आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण–पत्रों की उपलब्धता सुनिश्चित कर लें। जिससे अधिक से अधिक पात्र छात्र–छात्राएं छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना का लाभ प्राप्त कर सकें। आवेदन करने से सम्बन्धित आवश्यक दिशा–निर्देश, पात्रता एवं अभिलेख/ प्रमाण पत्र की जानकारी पत्र के साथ संलग्न है।

भवदीया,

संलग्नक : यथोपरि

(प्रो० अमिता कनौजिया)
अधिष्ठाता, छात्र कल्याण

पत्र संख्या : .... दिनांक : ....

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. वैयक्तिक सहायक, कुलपति, माननीय कुलपति जी को सूचनार्थ।
2. वैयक्तिक सहायक, कुलसचिव, कुलसचिव महोदया जी को सूचनार्थ।
3. इचार्ज, वेबसाइट को वेबसाइट पर अपलोड करवाने की प्रत्याशा में।

Amita Kanaujia
09.09.2026
अधिष्ठाता, छात्र कल्याण

Slide-1

About the Scheme
योजना के बारे में

Objective of the Scheme
योजना का उद्देश्य

- **Financial support for economically weaker students**
- आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना

- **Promote higher/ encouragevocational education**
- उच्च शिक्षा को बढ़ावा/ व्यायसायिक षिक्षा को प्रोत्साहन देना

- **Reduce dropout rates due to financial/ economic problem.**
- आर्थिक समस्या के कारण ड्रॉपआउट दर को कम करना

- **Support SC/ST/OBC/Minority/General category students**
- SC/ST/OBC/अल्पसंख्यक/सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों को सहायता

- **Scholarship + Fee Reimbursement through DBT**
- DBT के माध्यम से छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति

Slide - 2

Eligibility Criteria
पात्रता मानदंड

Who Can Apply?
कौन आवेदन क सकता है?

- **Resident of Uttar Pradesh**
  उत्तर प्रदेश का निवासी

- **High School - UP Board/ ICSE/ CBSE**
  हाई स्कूल - UP Board/ ICSE/ CBSE

- **Enrolled in recognized institution**
- **मान्यता प्राप्त संस्थान में नामांकित**

- **Family income within prescribed limit as given below**
  निम्नानुसार परिवार की आय निर्धारित सीमा के भीतर –
  - **General/ Other Backward Class/ Minority – upto 2,00,000 annual**
  - **सामान्य वर्ग/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ अल्पसंख्यक वर्ग – रू०₹2,00,000 तक वार्षिक**
  - **Scheduled Caste/ Scheduled Tribe Caste (SC/ST) - Rs. 2,50,000.00 or less**
  - **अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति (अ०जा०/ अ०ज०जा०) –₹2,50,000 तक वार्षिक**

Note :

- ➢ **An Income Certificate will be considered valid only in the name of the father.**
- ➢ आय प्रमाण पत्र (Income Certificate) केवल पिता के नाम से मान्य होगा।
- ➢ **If the father is not alive, it will be valid in the name of the mother.**
- ➢ यदि पिता जीवित नहीं हैं, तो माता के नाम से मान्य होगा।
- ➢ **If both parents are not alive, the Income Certificate in the name of the legal guardian will be valid.**
- ➢ यदि माता भी जीवित नहीं हैं, तो वैध अभिभावक (guardian) के नाम से आय प्रमाण पत्र मान्य होगा।
- ➢ **An Income Certificate issued in the name of the student/applicant will not be accepted under any circumstances.**
- ➢ छात्रा/ छात्रा/आवेदक के नाम से बना आय प्रमाण पत्र किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

- **Aadhaar linked bank account**
- आधार से लिंक बैंक खाता

- **OTR Registration mandatory**
- OTRपंजीकरण अनिवार्य

Slide - 3

Required Documents
आवश्यक दस्तावेज

- **Aadhaar Card**
  आधार कार्ड
- **Passport Size Photo**
  पासपोर्ट आकार फोटो
- **Income Certificate**
  आय प्रमाणपत्र
- **Caste Certificate**
  जाति प्रमाणपत्र
- **Previous class Marksheet**
  पिछली कक्षा की अंकतालिका
- **Fee Receipt**
  शुल्क रसीद
- **Bank Passbook**
  बैंक पासबुक
- **Domicile Certificate**
  निवास प्रमाणपत्र
- **High School & Intermediate Marksheet**
  हाई स्कूल एवं इन्टरमीडिएट अंकतालिका

Slide - 4

OTR Registration (One Time Registration) Process
OTR पंजीकरण प्रक्रिया

1. **Visit scholarship portal (scholarship.up.gov.in)**
   छात्रवृत्ति पोर्टल पर जाएँ(scholarship.up.gov.in)

2. **Aadhaar verification**
   आधार सत्यापन

3. **Mobile OTP verification**
   मोबाइलOTP सत्यापन

4. **Generate 14-digit OTR Number**
   14 अंकों का OTR नंबर जनरेट करे

5. **Use OTR for fresh/renewal applications**
   नवीन एवं नवीनीकरण आवेदन हेतु OTRका उपयोग करें

6. **For renewal, registration has to be done using the OTR generated earlier.**
   नवीनीकरण हेतु पूर्व में जनरेट OTR से रजिस्ट्रेषन करना होता है।

OTR is mandatory for UP Scholarship applications.
UP Scholarshipआवेदन के लिएOTRअनिवार्य है।

Slide - 5

Application Process
आवेदन प्रक्रिया

Online Application Steps – (for Fresh/New Registration)
ऑनलाइन आवेदन के चरण (नवीन पंजीकरण हेतु)

1. **Student Registration**
   छात्र पंजीकरण

2. **Login using credentials**
   credentialsका उपयोग करके लॉगिन करें

3. **Fill application form.**
   आवेदन पत्र भरें

4. **Upload documents**
   दस्तावेज अपलोड करें

5. **Before final submission, take a printout for self-verification and carefully check all the filled-in information."**
   अंतिम सबमिशन से पहले स्वयं जाँच हेतु प्रिंट–आउट लें एवं भरी गयी सभी जानकारियों का ध्यान से मिलान करें।

6. **After checking everything do Final submission**
   सब कुछ जांचने के बाद अंतिम सबमिशन करें

Note:
Once final submission is done, you usually cannot edit the form
अंतिम सबमिशन हो जाने के बाद, आप आमतौर पर फॉर्म को Edit नहीं कर सकते।

7. **Print application**
   आवेदन प्रिंट करें

8. **Submit the Application Form in the institute annexing all supporting relevant documents.**
   सभी सहायक प्रासांगिक दस्वावेजों/ प्रपत्रों को संलग्न कर आवेदन फार्म को संस्थान में जमा करें।

9. **For renewal, registration has to be done using the OTR generated earlier.**
   नवीनीकरण हेतु पूर्व में जनरेट OTR से रजिस्ट्रेशन करना होता है।